

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी कालुराम विपक्षी नवलशम
 किल्ला मुकदमा विपक्षी पत्रावली संख्या 112/22 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

23/8/24

पत्रावली पेश हुई। अधि. उग्रप
 पक्षकारान उग्र. अधि. उग्रि. स.। सग
 व कालुरामा पेश किया। स. का. स.। विपक्षी
 2/2 से 2/4 को आवाजे दिखवाई गई।
 अनु. 8। स.। अनु. स.। स.। इनके विषय
 एकफरफा कार्यवाही के आदेश परियुक्ति
 पेश है। पत्रावली वाले पक्षों के दिनांक
 27/9/24 को पेश हो।

27/9/24

पत्रावली पेश वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में प्रचार है। पत्रावली पूर्व आदेश की मालना में
 गंक... 6/12/24 को पेश हो

6/12/24

वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि.
 को पेश हो।

(SDO) मावली

17/2/25

पत्रावली पेश हुई। अधि. उग्रप
 उग्र. अधि. विपक्षी द्वारा राजीनामा होने
 पश्चात् किया। पत्रावली वाले पक्षों को
 राजीनामा दिनांक 28/02/25 को पेश हो।

28/2/25

पत्रावली पेश करने राजीनामा
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि.
 को पेश हो।

(SDO) मावली



2/05/25

Not Passed
~~Not Passed~~

Q
H

पसावली पेरा डुरा आदि परिधिगो
 24.1 आधिवक्ता परिधिगो आदि
 निवेदन किमा की प्रकार को
 आगे नही चलाना ही इसी
 स्तर पर खारिज किमा जाई
 आधिवक्ता परिधिगो आदि
 प्रकार को "Not Passed" किमा
 गया। मुंबि आधिवक्ता परिधिगो
 स्वयं ही प्रकार को आगे नही
 चलाना चाहते ही ऐसे में प्रकार
 को आगे चलाने का कोई औचित्य
 नही है अतः परिधिगो का प्रा.पम
 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 (ग.प.)
 इसी स्तर पर खारिज किमा जाना
 है

पसावली मसल कामाक होकर नकर
 से कम है

निर्णय स्वरु देलला स सुनाया गया।



अध्यक्ष कलक्टर
 (SDO) मसली